# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट
# जिला राजसमंद

**पीठासीन अधिकारी** :– श्रीमती रक्षा पारीक आर.ए.एस.
**पत्रावली संख्या.** 07/2019
**किस्म** :– **प्रार्थना–पत्र**
**दायर दिनांक : 06.02.2019** **निर्णय दिनांक** : 21.05.2024

**अनवान**

1. श्रीमती पुष्पादेवी पत्नी रतनसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी चौकडी, तहसील आमेट, जिला राजसमंद।

....................**प्रार्थी**

**बनाम**

1. रमेश पिता खेमाराम जाति रेगर
2. पवन पिता खेमाराम जाति रेगर
3. सम्पतलाल पिता खेमाराम जाति रेगर
4. श्रीमती अणछी बाई पत्नी खेमाराम जाति रेगर
5. श्रीमती तारा पत्नी रमेश जाति रेगर
   निवासीयान चौकडी, तहसील आमेट, जिला राजसमंद।
6. श्रीमती गंगा बाई पत्नी रोडा जाति कुम्हार प्रजापत निवासी डेगाना, तहसील आमेट, जिला राजसमंद

..................**विपक्षीगण**

**प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट आदेश 39 नियम 1–2 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता**

**प्रार्थीया की ओर से** :– **अधिवक्ता मुकेश देवपुरा**
**विपक्षी सं. 1 व 6 की ओर से** :– **अधिवक्ता विरेंद्रसिंह चुण्डावत**

प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट आदेश 39 नियम 1–2 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया एवं विपक्षी सं. 6 श्रीमती गंगा बाई के स्वामित्व एवं आधिपत्य का एक बाड़ा ग्राम चौकडी, पटवार हल्का खाखरमाला, तहसील आमेट, जिला राजसमंद में स्थित है, जिसके आराजी नं. 581 रकबा 0.0500 हैक्टेयर है। उक्त बाड़ा राजस्व रेकार्ड में 1/2 हिस्सा प्रार्थीया का एवं 1/2 हिस्सा विपक्षी सं. 6 का है। प्रार्थीया एवं विपक्षी सं. 6 ने आपसी सूझबूझ से मौके पर बंटवारा कर उपयोग–उपभोग कर रहे है। प्रार्थीया एवं विपक्षी सं. 6 अपने हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रही है। विपक्षी सं. 1 से 5 का वादग्रस्त बाड़ा से कोई

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, आमेट, जिला-राजसमन्द

न्यायालय सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी आमेट

लेना देना नहीं है। विपक्षी सं. 1 से 5 दिनांक 18.01.2019 को प्रार्थीया के कब्जेशुदा बाडे पर अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर दीवारे बनाने को उतारू हुए और नाजायत कब्जा करने को उतारू हुए। प्रार्थीया द्वारा रोकने पर लड़ाई झगड़ा करने लगे। जिस पर प्रार्थीया ने पुलिस थाना आमेट में रिपोर्ट दी। प्रार्थीया ने यह भूखंड दिनांक 13.12.2018 को ही जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से जीवा पिता रामा जी कुम्हार प्रजापति से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया। विपक्षी सं. 1 से 5 को यदि अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये नहीं रोका गया तो वह जबरन ताकत के बल पर प्रार्थीया को बेदखल कर देंगे, मौके की स्थिति में परिवर्तन कर निर्माण कार्य करा देंगे एवं कब्जा कर लेंगे।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थीया के पक्ष में एवं विपक्षी सं. 1 से 5 के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराई जावे कि उक्त वादग्रस्त बाडा जिसमें प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा है, से प्रार्थीया को बेदखल नहीं करे, न संपत्ति में प्रवेश करे, न मौके की स्थिति बदले, न ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करावे, प्रार्थिया के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे। उक्त कार्य न तो विपक्षीगण स्वयं करे एवं न ही अपने किसी नोकर, एजेण्ट आदि से ही करावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता विरेंद्रसिंह चुण्डावत, संदीप वैष्णव ने वकालत नामा पेश किया। विपक्षी की ओर से अधिवक्ता संदीप वैष्णव ने पत्रावली की आदेशिका पर No instruction अंकित किया जिससे विपक्षीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन मे विक्रय पत्र की प्रति, वर्तमान जमाबन्दी 2074 से 2077 फोटोप्रति प्रस्तुत की गई।

पत्रावली मे प्रार्थीया अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीया एवं विपक्षी सं. 6 अपने हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रही है। विपक्षी सं. 1 से 5 का वादग्रस्त बाड़ा से कोई लेना देना नहीं है। है। विपक्षी सं. 1 से 5 का वादग्रस्त बाड़ा से कोई लेना देना नहीं है। विपक्षी सं. 1 से 5 दिनांक 18.01.2019 को प्रार्थीया के कब्जेशुदा बाडे पर अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर दीवारे बनाने को उतारू हुए और नाजायत कब्जा करने को उतारू हुए। विपक्षी सं. 1 से 5 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराई जावे।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं प्रार्थना–पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। ग्राम चौकडी पटवार हल्का खाखरमाला तहसील आमेट में स्थिति भूमि जिसके आराजी नं. 581 रकबा 0.0500 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि विपक्षी उक्त वर्णित भूमि का मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहें।

**(रक्षा पारीक)**
**सहायक कलेक्टर एवं**
**उपखण्ड अधिकारी आमेट**
**(राजसमंद)**

निर्णय आज दिनांक **21.05.2024** को खुले न्यायालय मे आदेश सुनाया गया।

**(रक्षा पारीक)**
**सहायक कलेक्टर एवं**
**उपखण्ड अधिकारी आमेट**
**(राजसमंद)**